SUMMARY TRIAAAL UNDER SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,

In the court (बाह्यी सनेजा अग्रवाल) मतेश शेख पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी Magistrate मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार

Case No. 644/26/2024 Complaint or report made on

Name and address of the complainant आरक्षी केन्द्र / आबकारी वृत्त धार

Name, parentage, caste and address of accused

भेरूलाल पि. हिरालाल 70 वर्ष लोधा
नि. नालावदा थाना – धार

The office complained of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 15/06/26 को समय 7.30 AM
स्थान नालावदा अंतर्गत आरक्षी केन्द्र/आबकारी वृत्त धार जिला धार में
आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 11 पाव प्लेन मदिरा अपने आधिपत्य में रखी। ऐ
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध किया?

उक्त अपराध इस न्यायालय के संज्ञान में है, बताओ आप उक्त अपराध स्वीकार करते
प्रतिरक्षा चाहते हो।

(बाह्यी सनेजा अग्रवा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुख्य न्यायिक मजिस्
धार जिला धार (म.

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।

भेरूलाल

(बाह्यी सनेजा अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रे
मुख्य न्यायिक (म.प्र.)
धार जिला धार (म.

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), Clause (f) or clau of subsection (i) of section 260, the value of the property of which the offence has committed.

GRPI426-10L-28M-11-96

– निर्णय –

(आज दिनांक– ......14/9/26........ को पारित किया गया)

1– प्रकरण में अभियुक्त की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2– अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिकथित नहीं है। उसका प्रथम अपराध होना व अपराध के स्वरूप को देखते हुये आरोपी को कारावास के दंड से दंडित किया जाता न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ ...500.../– (अक्षय रूपये पाँच सौ...)के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी को उक्त धाराओं में 01 माह का साधारण कारावास भुगताया जाये।

3– प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल ...11 पाव प्लेन मदिरा.......अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये।

4– प्रकरण समाप्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)